इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic. in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2013—आश्विन 5, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)
अन्तिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

अधिसूचना क्रमांक/1066 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं

प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 भाग–4 (ग) में प्रकाशित **'आवास ऋण सहायता योजना 2008'** को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए, उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा, **मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना 2013,** मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना,–** (1) यह योजना **मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास(ग्रामीण) योजना 2013,** कहलाएगी।

(1) यह योजना मध्यप्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्र (शहरी एवं नजूल–बाह्य क्षेत्र को छोड़कर) में, चरणबद्ध ढंग से प्रभावशील होगी।

(2) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

(3) इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ऐसे सभी भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार, हितग्राही होंगे, जो **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996** की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत न्यूनतम छः वर्षों से निरंतर हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं तथा योजनांतर्गत पात्रता की अन्य शेष शर्तें पूर्ण करते हैं।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(1) **अधिनियम** का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है।

(2) **नियम** का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 से अभिप्रेत है।

(3) **बोर्ड या मण्डल** से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है।

(4) **सचिव** से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल** के सचिव से अभिप्रेत है।

(5) **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार** से आशय वैध परिचय पत्र धारी, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक से है।

(6) **परिवार से आशय है:–**

(i) स्वयं, पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार

(ii) पत्नी अथवा पति (यथा स्थिति अनुसार)

(iii) आश्रित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री अथवा विधवा/परित्यक्ता आश्रित पुत्री

(iv) आश्रित माता एवं पिता

(7) **'संगठन'** से आशय मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानानुसार गठित/गठन की प्रकियाधीन **मुख्यमंत्री श्रमिक आवास संगठन** से अभिप्रेत है, जिसके उद्देश्य, नियम, उपनियम, कृत्य, शक्तियॉ एवं स्टाफ आदि का विनियमन पृथक से किया जायेगा।

(8) **'मिशन'** से आशय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित **मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास मिशन** से है।

(9) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन, उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित है।

3. **योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तें :**

ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार**, इस योजना में पात्र हितग्राही होंगे जो कि **अधिनियम** की धारा 12 सहपठित **नियम** के नियम 272 के अन्तर्गत, **विगत लगातार छः वर्षों** से निरन्तर वैध हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण–श्रमिक हैं तथा इस योजना में लाभ अर्जित करने हेतु पात्रता की निम्न शर्तें भी पूर्ण करते हों:–

(i) जो इन्दिरा आवास योजना अथवा **मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना** अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त करने की पात्रता धारित न करते हों।

(ii) जिनके परिवार के पास अधिकतम कृषि भूमि 3 हेक्टेयर तक एवं परिवार की अधिकतम वार्षिक आय रू. 3 लाख तक है।

(iii) आवासहीन/कच्चे या अर्धपक्के आवासों में निवासरत, हों।

(iv) जिनके पास आवास निर्माण के लिये स्वयं का भू–खण्ड उपलब्ध हो अथवा जो शासन से आवास निर्माण हेतु भू–खण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखते हों अथवा जो अपने स्वामित्व की कृषि भूमि में स्थित भू–खण्ड पर आवास निर्माण करने के इच्छुक हैं।

(v) जो न्यूनतम 225 वर्गफुट प्लिंथ एरिया का आवास, निर्धारित अभिन्यास में निर्माण करने के लिए सहमत हों।

(vi) जो योजना अंतर्गत बैंक ऋण प्राप्त करने एवं स्वयं का अंशदान श्रम/सामग्री/सम्मिलित रूप में, प्रदान करने के लिए सहमत हों।

4. **योजना का प्रथम चरण :–**

प्रथम चरण में योजना प्रदेश के 41 जिलों (ग्वालियर, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास और रतलाम को छोड़कर) में क्रियान्वित की जावेगी।

5. **हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया:–**

(i) सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वार्षिक लक्ष्य संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को संसूचित किए जावेंगे। जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में **पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों** की संख्या के आधार पर उक्त जिले के लक्ष्य को समानुपातिक रूप से, जनपद पंचायतवार विभाजित कर, संबंधित जनपद पंचायतों को संसूचित किया जावेगा।

(ii) उक्त जनपद पंचायतवार लक्ष्य के आधार पर, विज्ञापन जारी कर, पात्र हितग्राहियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जावेंगे। हितग्राही जनपद पंचायत को इस आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करेगा जिसकी उसे पावती दी जावेगी।

(iii) जनपद पंचायत स्तर पर प्राप्त सभी आवेदनों को **तीन** सदस्यों की समिति

के समक्ष रखा जावेगा। इस समिति में निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे :

(अ) पंचायत समन्वय अधिकारी

(ब) सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव

(स) सम्बन्धित क्षेत्र का पटवारी

(iv) उपरोक्त समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों को निम्नलिखित प्रपत्र में सूचीबद्ध किया जावेगा:–

क्र.	हितग्राही का नाम/ पिता का नाम	ग्राम	स्वामित्व की कृषि भूमि का क्षेत्रफल	आय का स्त्रोत / व्यवसाय	अधिकतम वार्षिक आय (रू. में)	आवेदन दिनांक की स्थिति में, विगत न्यूनतम 6 वर्षों से निरन्तर निर्माण श्रमिक के रूप में वैध पंजीयन की स्थिति (पंजीयन क्रं. एवं वैधता)	समिति की अनुशंसा (आवासीय ऋण की पात्रता है अथवा नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8

(v) पात्रता के संबंध में उक्त समिति के निर्णय से अंसतुष्ट होने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपील की जा सकेगी।

(vi) संबंधित जनपद पंचायत द्वारा **निर्धारित समय सीमा** में, प्राप्त आवेदनों एवं सूची का परीक्षण कर, स्वीकृति योग्य आवेदनों की संख्या लक्ष्य से अधिक होने की स्थिति में, पारदर्शितापूर्ण ढंग से लाटरी पद्धति से, निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक हितग्राहियों का चयन किया जावेगा।

(vii) हितग्राहियों के चयन उपरान्त जनपद पंचायत द्वारा चयनित हितग्राहियों को चयन की सूचना दी जाकर, बैंक ऋण प्रकरण तैयार कराया जावेगा एवं इन प्रकरणों को, बैंकों को स्वीकृति व ऋण वितरण के लिए प्रेषित किया जावेगा।

(viii) शासकीय अनुदान राशि **मण्डल** द्वारा, माँग अनुसार बैंकों के अधिकृत राज्य स्तरीय मुख्यालयों को प्रदान की जावेगी।

(ix) चयनित निर्माण श्रमिक हितग्राहियों के आवासीय ऋण प्रकरणों में, बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात्, बैंक द्वारा ऋण राशि के साथ ही, **मण्डल** द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि भी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वितरण की जावेगी। यह अनुदान की राशि रु. 50,000/– मात्र (शब्दों में रु. पचास हजार मात्र) होगी।

(X) बैंकों को प्रेषित/बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित प्रकरणों के संबंध में मासिक जानकारी जनपद पंचायत द्वारा जिला श्रम कार्यालय को प्रतिमाह प्रेषित की जाएगी।

6. **योजना में हितलाभ**– योजना के अंतर्गत पात्र निर्माण श्रमिकों द्वारा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, न्यूनतम 225 वर्गफुट कुर्सी क्षेत्रफल (प्लिंथ एरिया) का आवास स्वयं निर्माण किया जावेगा। इस आवास की लागत वर्तमान में रू. 1,20,000/–मात्र निर्धारित है। इस निर्माण लागत में निम्न अवयव रहेंगे :–

(1) **हितग्राही का अंशदान** : श्रम/सामग्री/सम्मिलित के रुप में, निर्माण श्रमिक हितग्राही का स्वयं का अंशदान (न्यूनतम) रू. 20,000/– मात्र (शब्दों में रू. बीस हजार मात्र) का रहेगा।

(2) **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल** द्वारा रू. 50,000/– मात्र (शब्दों में रू. पचास हजार मात्र) का अनुदान, बैंक के माध्यम से हितग्राही को उपलब्ध कराया जावेगा।

(3) (i) बैंक द्वारा हितग्राही को रू. 50,000/– मात्र (रू. पचास हजार मात्र) का ऋण, प्रदान किया जावेगा।

(ii) निर्माण श्रमिक हितग्राही अधिक उन्नत आवास (अनुमानित लागत रू. 1,50,000) बनाने के लिए, आवश्यकतानुसार स्वयं की अंशदान राशि में वृद्धि कर सकेगा अथवा इस हेतु हितग्राही की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर, बैंक द्वारा उसे रू 30,000/– (रू. तीस हजार मात्र) की सीमा तक **अतिरिक्त ऋण** दिया जा जाकेगा। अर्थात बैंक ऋण रू. 50,000/–मात्र (रू. पचास हजार मात्र) से बढ़कर, अधिकतम रू. 80,000/–मात्र (रू. अस्सी हजार मात्र) तक हो सकेगा परन्तु किसी भी स्थिति में मण्डल द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की कुल राशि रू 50,000/– (रू. पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

(4) उपरोक्त अनुदान एवं बैंक ऋण की राशि का, किश्तों में, हितग्राही को भुगतान, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

7. **योजना का क्रियान्वयन** – इस योजना का क्रियान्वयन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अन्तर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं/ अथवा संगठन/मण्डल द्वारा किया जावेगा।

8. **विसंगति का निवारण**– योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों एवं हितलाभ के प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा इस संबंध में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

9. **पदाभिहित अधिकारी**– योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अधिकृत किया जाता है।

अजय कुमार नेमा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013

अधिसूचना क्र. 1081.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2008 [भाग–4 (ग)] में प्रकाशित पेंशन सहायता योजना—2008 तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना, 2013 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है:—

(क) **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.**—(1) यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना, 2013 कहलाएगी.

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी.

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी. योजना का क्रियान्वयन मण्डल द्वारा निर्धारित दिनांक से प्रारंभ होगा.

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत न्यूनतम छः वर्ष से निरंतर हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी 25 से 45 वर्ष आयु के निर्माण श्रमिक हैं.

(ख) **परिभाषाएं**.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है.

(2) नियम का आशय म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002.

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है.

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है.

(5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय–पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है.

(6) पेंशन योजना से आशय भारत सरकार द्वारा संचालित अंशदायी पेंशन योजना ''स्वावलम्बन'' में मंडल की भागीदारी उपरान्त तैयार की गई योजना से है.

(7) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं.

(ग) **योजना का विवरण एवं पात्रता**.–अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 227, 279 एवं 280 के अंतर्गत न्यूनतम छः वर्ष से निरंतर पंजीकृत 25 से 45 वर्ष आयु के निर्माण श्रमिकों के लिए यह योजना होगी. इस योजना का लाभ योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले समस्त परिचय–पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्राप्त होगा.

(घ) **पात्रता**.–न्यूनतम छः वर्ष से निरंतर वैध परिचय–पत्र धारी 25 से 45 वर्ष आयु के निर्माण श्रमिक योजना के लिए पात्र होंगे.

(ड़) पात्रताधारी पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो भारत सरकार द्वारा संचालित स्वावलंबन पेंशन योजना के प्रावधान अनुसार स्वयं का वार्षिक/मासिक अंशदान जमा कराता हो और स्वावलंबन पेंशन योजना के प्रावधान अनुसार अंशदान की सहमति देता हो, उसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर मण्डल के पदाभिहित अधिकारी द्वारा मण्डल से अंशदान राशि स्वीकृत की जावेगी.

(च) **योजना में अंशदान एवं हितलाभ**.–योजना के अंतर्गत पात्र निर्माण श्रमिकों को अनुमोदित पेंशन योजना के प्रावधानानुसार हितग्राही को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् अनुमानित न्यूनतम 1 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने के लिए निम्नानुसार अंशदान की व्यवस्था की जाएगी.

अंशदान.–(1) भारत सरकार द्वारा योजना में वर्ष 2016–17 तक प्रतिवर्ष प्रति हितग्राही रुपये 1 हजार के मान से अंशदान प्रदान किया जायेगा.

(2) मंडल द्वारा योजना में प्रतिवर्ष प्रति हितग्राही प्रथम 5 वर्ष तक रुपये 500/– प्रतिवर्ष अंशदान प्रदान किया जायेगा.

(3) प्रत्येक चयनित हिताधिकारी द्वारा योजना में अनुमानित न्यूनतम रुपये 1 हजार प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए निर्धारित आंकलन अनुसार वार्षिक अथवा मासिक अंशदान 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जमा कराया जायेगा. इस अंशदान की गणना हितग्राही के योजना में प्रवेश के समय की आयु पर निर्भर होगी तथा अनुमानित पेंशन की गणना हितग्राही के योजना में प्रदान किये गये अंशदान की अवधि एवं अंशदान राशि पर निर्भर होगी.

(4) राज्य शासन द्वारा यदि इस हेतु कोई निधि गठित की जाती है तो निर्धारित की गई दरों के अनुसार उक्त निधि से अंशदान.

हितलाभ.—(1) हितग्राही के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् उसके जीवित रहने तक प्रतिमाह मासिक पेंशन प्राप्त होगी. उसकी मृत्यु होने पर स्वावलंबन योजना के प्रावधानों एवं हितग्राही द्वारा चिन्हित विकल्प के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को योजना में निर्धारित दर से एकमुश्त राशि/पेंशन का लाभ प्राप्त होगा.

(2) स्वावलंबन योजना के प्रावधानों के अनुसार कुल संचित निधि में से हितग्राही को आहरण की पात्रता होगी.

क्रियान्वयन.—योजना के क्रियान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पेंशन फण्ड डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन अथारिटी द्वारा अधिकृत तथा मंडल द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना की संचालक संस्थाओं (एग्रीगेटर्स) का होगा.

(छ) **योजना का पर्यवेक्षण**.—योजना का पर्यवेक्षण मंडल द्वारा किया जायेगा.

(ज) **विसंगति का निवारण**.—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों एवं हितलाभ के प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा इस संबंध में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में श्रम आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा.

अजय कुमार नेमा, सचिव.

अधिसूचना क्र. 1081.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2008 [भाग–4 (ग)] में प्रकाशित आवास ऋण सहायता योजना—2008 तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा, **मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना, 2013** मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना**.—(i) यह योजना **मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना, 2013** कहलाएगी.

(ii) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी.

(iii) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी.

(iv) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत न्यूनतम छः वर्ष से निरंतर हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं तथा योजनान्तर्गत पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं.

2. **परिभाषाएं**.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से है.

(ii) नियम का आशय म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002 से है.

(iii) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से है.

(iv) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से है.

(v) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से है.

(vi) आश्रित से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक के निम्नानुसार परिवार के सदस्य को आश्रित माना जाएगा—

(1) पत्नी अथवा पति (यथा स्थिति अनुसार).

(2) आश्रित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री अथवा विधवा/परित्यक्ता आश्रित पुत्री.

(3) आश्रित माता एवं पिता.

(vii) ''संगठन'' से आशय मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानानुसार गठित/गठन की प्रक्रियाधीन **मुख्यमंत्री श्रमिक आवास संगठन** से अभिप्रेत है जिसके उद्देश्य, नियम, उपनियम, कृत्य, शक्तियां एवं स्टाफ आदि का विनियमन पृथक् से किया जायेगा.

(viii) एजेंसी से आशय पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के लिए आवासीय योजना/परियोजना की संचालनकर्ता तथा आवासीय इकाईयों का निर्माण करने वाले मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, नगर विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों से है.

(ix) ''**परियोजना**'' से आशय राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/परिपत्र द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, नगर विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रदेश में कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भवन निर्माण के लिए संचालित परियोजना से है.

(x) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वाचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं.

3. **योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिकों की पात्रता की शर्तें.**—प्रथम चरण में प्रदेश के 10 नगरीय निकायों—ग्वालियर, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास और रतलाम के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत् ऐसे निर्माण श्रमिक, इस योजना में पात्र हितग्राही होंगे जो कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 272 के अन्तर्गत विगत लगातार 6 वर्षों से निरंतर हिताधिकारी परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक हैं तथा निम्नानुसार अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं:—

(i) जिन्होंने शासन की किसी अनुदान योजना में आवास का लाभ प्राप्त नहीं किया हो.

(ii) जिनके स्वयं के अथवा परिवार के आश्रित सदस्य के नाम पर आवास न हो.

अथवा

स्वयं के अथवा परिवार के आश्रित सदस्य के नाम पर संबंधित नगरीय क्षेत्र में मात्र कच्चा मकान (झोपड़ी) हो.

(iii) जिनकी आय परियोजना अनुसार निर्धारित आय सीमा की शर्तों के अनुरूप हो.

(iv) जिनका परियोजना के प्रावधानानुसार आवासीय इकाई आवंटन हेतु संबंधित एजेंसी द्वारा चयन किया गया हो.

(v) आवासीय इकाई हेतु स्वयं के अंशदान की राशि प्रदान करने अथवा वांछित ऋण लेने हेतु सहमत हों.

4. **हितग्राहियों की चयन की प्रक्रिया.**—मंडल के पात्रताधारी पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन क्रय करने के लिए आवेदन संबंधित निर्माण एजेंसी को प्रस्तुत करेंगे तथा परियोजना के प्रावधानानुसार चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित होंगे.

5. **आवासों का निर्माण व बैंक ऋण तैयार करने की प्रक्रिया.**—परियोजना के प्रावधानानुसार चयनित हितग्राहियों को आवासीय इकाई के मूल्य का भुगतान मंडल के अनुदान की राशि को छोड़कर स्वयं अथवा बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर करना होगा.

6. **योजना में हितलाभ.**—(i) परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक चयनित हितग्राही को रुपये 70 हजार प्रति आवासीय इकाई की राशि अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दी जायेगी, जिसका भुगतान योजना की संचालनकर्ता एजेंसी को परियोजना की शर्तों के अनुसार मंडल द्वारा किया जायेगा.

(ii) आवासीय इकाई के मूल्य की शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही को उक्त योजना के अनुसार बैंक ऋण के माध्यम से अथवा स्वयं हितग्राही की ओर से किया जायेगा.

(iii) संबंधित हितग्राही के लिए बैंक ऋण स्वीकृति/वितरण एवं पुर्नभुगतान की प्रक्रिया परियोजना के प्रावधानों के अनुसार होगी.

7. **पदाभिहित अधिकारी.**—योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी जिला स्तरीय श्रम अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) होंगे.

8. **योजना का पर्यवेक्षण.**—मंडल के हितग्राहियों के लिए योजना का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा किया जायेगा.

9. **विसंगति का निवारण.**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों एवं हितलाभ के प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा इस संबंध में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का निर्णय अंतिम होगा.

अजय कुमार नेमा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.